

पंचाट
राष्ट्रीय लोक अदालत
अरेराज, पूर्वी चम्पारण, ।

1. केस नं०- सन् चायलय

FR No. 229/24

Cr No. 2548/11

वाद का प्रकार- Cr No. 52/15

शरका (अंगुष्ठ भाग नसी) पारदक/वादी

बनाम

2.

शै० अफीर अहमद

विपक्षी / प्रतिवादी

3. फैसले का संक्षिप्त विवरण: अनिलेख आज राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष उभय पक्षों की उपस्थिति में प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षों का कहना है कि हमें इस मुकदमा को आगे नहीं लड़ना है। अतः इसे समाप्त करने की स्वीकारा जाए।

अनिलेख अवलोकन से द्वात होता है कि इस वाद में उभय पक्षों ने संधिपत्र दाखिल किया है जिस दोनों ने अपना-अपना हस्ताक्षर एवं निशान बना दिया है। इस वाद में संज्ञान लिए गए सभी अपराध सुलह योग्य हैं।

अतः उभय पक्षों की सहमति एवं सुलहमाना के आधार पर इस वाद को समाप्त किया जाता है।

काण्डे अमित कुमार शै० अफीर अहमद एवं ② अमरियाज अहमद से द्वातमात्र के 7739230178 एवं 00966501668999 से वीडियो कॉल पर बात किया गया तथा पंचाट करीब १५ मिनटों में पूर्ण हो गई। उभयपक्षों के मध्य सुलह के आधार पर काण्ड का निष्पादन किया गया।

Sanjay Kumar

हस्ताक्षर
अब्दुल अकरम
अमल 24/2
हस्ताक्षर-विपक्षी / प्रतिवादी

शै० अफीर अहमद

हस्ताक्षर-आयेंदक/वादी:



Upendra Sah
24/03/20